भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2217

दिनांक 12 दिसम्बर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत दावा संबंधी धोखाधड़ी के मामले

†2217. श्री काली चरण सिंहः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान देश भर में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत धोखाधड़ी, दुरुपयोग, गलत पहचान या बढ़ा-चढ़ाकर किए गए दावों के मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में लिप्त पाए गए अस्पतालों, लाभार्थियों और अधिकारियों की संख्या सहित धोखाधड़ी संबंधी लेनदेन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पहचाने गए धोखाधड़ी संबंधी या अनियमित दावों की कुल राशि कितनी है और अब तक कितनी राशि वसूल की गई है;

(घ) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने धोखाधड़ी करने वाले अस्पतालों के विरुद्ध अतिरिक्त भुगतान की वसूली सहित, उन्हें पैनल से हटाने, निलंबित करने, जुर्माना लगाने या एफआईआर दर्ज करने जैसी कार्रवाई की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए दावों की एआई-आधारित जांच, वास्तविक समय जोखिम स्कोरिंग, संपरीक्षा और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसे धोखाधड़ी-रोधी तंत्रों को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) धोखाधड़ी के प्रति शून्य-सहिष्णुता के दृष्टिकोण से संचालित होती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में राष्ट्रीय धोखाधड़ी-रोधी इकाई (एनएएफयू) की स्थापना की गई है, जो धोखाधड़ी के मामलों की जांच और कार्रवाई करने के लिए राज्य

धोखाधड़ी-रोधी इकाइयों (एसएएफयू) के साथ निकट समन्वय में कार्य करती है। धोखाधड़ी करने वाली इकाइयों के खिलाफ निलंबन, कारण बताओ नोटिस जारी करना, चेतावनी पत्र, अस्पतालों का पैनल रद्द करना, ई-कार्ड निष्क्रिय करना, दोषी अस्पतालों पर जुर्माना लगाना और एफआईआर दर्ज करना जैसी समुचित कार्रवाई की जाती है।

दिनांक 15.11.2025 की स्थिति के अनुसार, 1184 अस्पतालों को पैनल से हटा दिया गया है, धोखाधड़ी करने वाली इकाइओं पर 231.88 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 411 अस्पतालों को निलंबित कर दिया गया है।

एनएएफ़यू कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) आधारित स्वचालित ट्रिगर्स का उपयोग करके असामान्य दावों, जैसे कि डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ, बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई प्रक्रियाएँ या रोगी की पहचान का दुरुपयोग को चिह्नित करता है। एबी-पीएमजेएवाई के समग्र धोखाधड़ी-रोधी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए नियमित क्षमता-निर्माण कार्यशालाएँ और फील्ड स्तर पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं।

*****